सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री छोगाराम देवासी, आर.ए.एस.)

प्रकरण स : 04/2013 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO: 2013/00012

**अनवान**

1. श्री चौखा पिता रतना मीणा, निवासी–ड़ींगरी, धोला दाता, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर के बजाय–

   1/1 मु. रतनीबाई बेवा चौखा जी मीणा, निवासी–ड़ींगरी, धोला दाता, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर

– प्रार्थीया

**बनाम**

1. श्री सुरेश कुमार पिता कालुलाल मीणा, निवासी–ड़ींगरी, हाल निवासी–वेजपुर (झाड़ोल), तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।
2. श्री देवीलाल पिता कालुलाल मीणा, निवासी–ड़ींगरी, हाल निवासी–वेजपुर (झाड़ोल), तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सराड़ा, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

**उपस्थित**

1. श्री खेमराज ड़ांगी, अधिवक्ता प्रार्थीया।
2. श्री भाणीलाल पटेल, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2

**अपील प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने**

## * निर्णय *

दिनांक 02-07-2018

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के प्रस्तुत किया कि मौजा ड़ींगरी, तहसील सराड़ा की आराजी संख्या 581 रकबा 0.05हे., 216 रकबा 0.13हे. कुल किता 2 रकबा 0.18हे. भूमि आवंटन सलाहकार समिति की अनुमति से तारीख 04.06.2002 को जरिये मिसल नम्बर 72/2006 से आवंटित की गई है व पट्टा दिनांक 07.06.2002 को जारी किया गया हैं। कथित आवंटन के पश्चात् आज तक विपक्षी संख्या 1 व 2 ने कब्जा प्राप्त नहीं किया हैं, न ही आवंटित भूमि को काबिल काश्त बनाया हैं एवं आवंटन शर्तो की पालना भी नहीं की हैं तथा वर्णित आराजीयात का नामान्तरकरण भी स्वयं के नाम पर नहीं खुलवाया हैं। विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित भूमि पर आज भी प्रार्थीया का ही कब्जा हैं एवं प्रार्थीया को उक्त भूमि से बेदखल नहीं किया गया हैं। कथित आवंटन विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा मिलीभगत करके कराया हैं। कथित आवंटन पूर्ण कोरम मे नहीं हुआ हैं। तत्कालीन सरपंच धर्मी थी, जो कि विपक्षी संख्या 1 व 2 की

माता थी व धर्मी ने अपने पुत्र विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम कथित भूमि का आवंटन कराया हैं, जो कानूनी प्रावधानों के विपरित हो अपने पद का दुरूपयोग किया है। विपक्षी संख्या 1 व 2 भूमिहीन काश्तकार नहीं हैं। आवंटित आराजी संख्या 581 रकबा 0.05 भूमि कमाण्ड़ की है, जो आवंटन नहीं की जा सकती हैं। कथित आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र मे भी उक्त भूमि कमाण्ड़ की होना दर्शाया गया हैं। आवन्टी द्वारा भरा गया प्रार्थना पत्र भी अपूर्ण है व पटवारी हल्का ने भी कोई स्पष्ट रिपोर्ट नहीं की हैं। आवंटन के पूर्व न तो कोई उद्घोषणा जारी की गई एवं न ही ओक्युपाईड़ व अनओक्युपाईड़ भूमि की सूची तैयार की गई हैं। विवादित भूमि की वर्तमान मे कीमत बढ जाने से विपक्षी संख्या 1 व 2 उक्त भूमि का जबरन प्रार्थीया से हड़पना चाहते हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष मे किया गया आवंटन आदेश दिनांक 04.06.2002 को निरस्त फरमाया जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी स. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर जवाब पेश किया कि विपक्षी संख्या 1 व 2 को मौजा ड़ींगरी, तहसील सराड़ा की आराजी संख्या 581 व 216 कुल किता 2 रकबा 0.18हे. सही आवंटित की गई हैं। उक्त भूमि के आवंटन के पश्चात् दिनांक 07.06.2002 को पटवारी हल्का द्वारा कब्जा सुपुर्द किया गया तब से उक्त भूमि पर विपक्षी संख्या 1 व 2 काबिज है। उक्त भूमि का आवंटन के पूर्व विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता को बाड़े के प्रयोजनार्थ दिनांक 13.08.1998 को आवंटन किया गया, जिससे प्रार्थीया का यह कहना गलत है कि विवादित भूमि पर विपक्षी संख्या 1 व 2 का कब्जा न हो। विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा आवंटन के पश्चात् भूमि पर भारी लागत लगायी गई हैं। भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 व 2 को पूर्ण कोरम मे हुआ हैं तथा भूमि को उच्चाधिकार प्राप्त आवंटन कमेटी मेम्बर द्वारा विपक्षी संख्या 1 व 2 के भूमिहीन काश्तकार होने से उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का यह कहना गलत है कि धर्मी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग किया गया हों। विपक्षी संख्या 1 व 2 को किये गये आवंटन की जानकारी प्रार्थी को प्रारंभ से ही थी, किन्तु उसके द्वारा जानबुझकर आवंटन के 11 वर्ष पश्चात् उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मयाद बाहर है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) अस्वीकार किया जाकर उपखण्ड़ अधिकारी द्वारा विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष मे किये गये आवंटन को बहाल रखा जावें। प्रकरण मे उपखण्ड़ अधिकारी से आवंटन पत्रावली संख्या 72/2006 तलब की जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस प्रांरभ करते हुए प्रकरण मे अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 व 2 को किया गया आवंटन गलत तथ्यों पर आधारित है। वर्तमान मे आवंटित आराजीयात पर विपक्षी संख्या 1 व 2 का कब्जा नही हैं। तत्कालीन सरपंच द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए तत्समय अपने पुत्रों विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम भूमि का आवंटन कर दिया है। उक्त भूमि का कब्जा कभी विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा प्राप्त ही नही किया गया है,

जिससे भूमि वर्तमान मे भी बिलानाम सरकार चली आ रही हैं। विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित भूमि कमाण्ड़ की होने से आवंटित नहीं की जा सकती है। आवंटन के पूर्व तथा आवंटन के पश्चात् आवंटन नियमों की पालना न करने से उक्त आवंटन निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष मे किया गया आवंटन खारिज किया जावें। प्रार्थीया के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

आर.आर.ड़ी 200 पृष्ठ संख्या 151

आर.आर.टी 2013(1) पृष्ठ संख्या 192

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा बहस मे भाग लते हुए स्पष्ट किया कि विपक्षी संख्या 1 व 2 का उक्त भूमि पर विधिवत पुराना कब्जा होने से ही उन्हे भूमि का आवंटन किया गया है। विपक्षी संख्या 1 व 2 को किये गये आवंटन की जानकारी प्रार्थी को प्रारंभ से ही थी, किन्तु उसके द्वारा जानबुझकर आवंटन के 11 वर्ष पश्चात् उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा आवंटन के पश्चात् भूमि पर भारी लागत लगायी गई हैं। भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 व 2 को पूर्ण कोरम मे हुआ हैं तथा भूमि को उच्चाधिकार प्राप्त आवंटन कमेटी मेम्बर द्वारा विपक्षी संख्या 1 व 2 के भूमिहीन काश्तकार होने से उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का यह कहना गलत है कि धर्मी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग किया गया हों। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, विपक्षी स. 1 व 2 के जवाब, आवंटन पत्रावली, पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार को संबोधित मौका रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति एवं उसमे वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया एवं उन पर गंभीरता से मनन किया। प्रकरण मे विवाद मौजा ड़ींगरी, तहसील सराड़ा की विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित आराजी संख्या 581 रकबा 0.05हे., 216 रकबा 0.13हे. कुल किता 2 रकबा 0.18हे. का है, जिस पर उभय पक्ष द्वारा अपना अपना कब्जा बताया जा रहा हैं। आवंटन पत्रावली संख्या 72/2006 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 क्रमशः सुरेश कुमार देवीलाल पिता कालुलाल मीणा द्वारा आवेदन करने पर पटवारी हल्का व भू.अ. निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी स. 1 व 2 को किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर तहसीलदार, प्रधान व सरपंच आदि के हस्ताक्षर मौजुद हो कृषि भूमि आवंटन अधिकारी के हस्ताक्षर अध्यक्ष के रूप मे आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध है। आवंटन के पश्चात् कब्जा सुपुर्दगी पत्र पर पटवारी हल्का आवंटी एवं गवाहान के हस्ताक्षर मौजुद हैं, किन्तु आवंटन पत्रावली की फर्द पर उपखण्ड़ अधिकारी अथवा आवंटन अधिकारी के हस्ताक्षरों का अभाव है। पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार को संबोधित मौका रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति मे भूमि दिनांक 13.05.2013 को अर्थात आवंटन के लगभग 7 वर्ष बाद भी बिलानाम सरकार दर्ज होना पाया गया हैं एवं उक्त भूमि पर आवंटी द्वारा कब्जा काश्त नही करना पाया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि आवंटन के पश्चात् विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की

गई है। इसके अतिरिक्त आवंटी के आवंटन प्रार्थना पत्र मे आराजी संख्या 581 रकबा 0.05हे. कमाण्ड़ क्षेत्र मे होना दर्शाया गया है, इसके बावजूद आराजी संख्या 581 का आवंटन विपक्षी संख्या 1 व 2 को किया गया है। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे विपक्षी संख्या 1 व 2 को तत्कालीन सरपंच के पुत्र होना बताया गया हैं। विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा भी अपने जवाब मे इस तथ्य को इंकार नहीं किया है। राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 13 मे यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि ''जहां सलाहकार समिति के किसी सदस्य का किसी आवेदक मे उसके संबंधी होने के कारण या अन्यथा कोई हित हो, वहां ऐसा सदस्य समिति की बैठक मे भाग नहीं लेगा।'' प्रार्थीया के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त प्रकरण मे चस्पा होते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर मौजा ड़िंगरी, तहसील सराड़ा की आराजी संख्या 581 रकबा 0.05हे., 216 रकबा 0.13हे. कुल किता 2 रकबा 0.18हे. भूमि पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा मिसल नम्बर 72/2006 से विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष मे किया गया आवंटन आदेश दिनांक 04.06.2002 को खारिज किया जाकर भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सराड़ा को यह निर्देश दिये जाते है राजस्व रेकर्ड मे भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने के उपरान्त उक्त भूमि पर अन्य कोई व्यक्ति कब्जा न करें एवं न ही उक्त भूमि अन्य किसी व्यक्ति को आवंटन की जावें।

निर्णय आज दिनांक 02.07.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

**(छोगाराम देवासी)**
**अतिरिक्त जिला कलक्टर**
**उदयपुर**